**प्राथमिकता – XII**

**भारत सरकार**

**विदेश मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. 117\***

**20.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**भारतीयों को दिए जाने वाले एच-1बी वीजा पर प्रतिबंध**

**\*117. श्री आनन्‍द शर्मा:**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के वर्षों में अमरीकी प्रशासन द्वारा भारी संख्‍या में एच-1बी वीजा आवेदनों को अस्‍वीकार किया गया है जिससे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र एवं आउटसोर्सिंग कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्‍या नोटिसेज ऑफ इंटेंट टु डिनाई एवं नोटिसेज ऑफ इंटेंट टु रिवोक जारी किए जाने के मामलों में उत्‍याधिक वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्‍या अमरीकी प्रशासन द्वारा वर्तमान उपबंधों में आगे और परिवर्तन किए जाने का प्रस्‍ताव है जिसके परिमाणस्‍वरूप भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाले एच-1बी वीजा की संख्‍या में कमी आएगी जो कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों और भारतीय-अमरीकियों के स्‍वामित्‍व वाली छोटी-छोटी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संविदा कंपनियों के हितों के विपरीत होगा?

**उत्तर**

**विदेश मंत्री**

**[श्रीमती सुषमा स्‍वराज]**

**(क से घ)** विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

**\*\*\*\***

**‘‘भारतीयों को दिए जाने वाले एच-1बी वीजा पर प्रतिबंध’’ के संबंध में दिनांक 20.12.2018 को उत्‍तर के लिए पूछे गए राज्‍यसभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 117 के भाग (क-घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण**

**(क) से (घ)** भारतीय नागरिकों के एच-1बी वीजा आवेदनों को निरस्‍त किए जाने के संबंध में अमरीका के आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक तौर पर उपलब्‍ध नहीं हैं। अमरीकी सरकार ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम के संबंध में कुछ प्रशासनिक उपाय किए हैं जिनसे एच-1बी आवेदनों की और गहन जांच आरंभ हो गई है तथा प्रलेखन अपेक्षाएं अधिक बढ़ गई हैं।

 अमरीकी सरकार द्वारा एच-1बी वीजा कार्यक्रम के संबंध में जारी किए गए नोटिसेज ऑफ इंटेंट टु डिनाई (एनओआईडीज) तथा नोटिसेज ऑफ इंटेंट टु रिवोक (एनओआईआरज) की संख्‍या का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्‍ध नहीं है। यूनाईटेड स्‍टेट्स सिटिजनशिप एंड ईमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) ने 13 जुलाई 2018 को ‘‘पॉलिसी गाईडेंस फॉर सर्टेन रिक्‍वेस्‍टस् फॉर एवीडेंस एंड नोटिसेज ऑफ इंटेंट टु डिनाई’’ शीर्षक से एक नीतिगत ज्ञापन जारी किया जो यूएससीआईएस के न्‍यायनिर्णायकों को आरंभिक एच-1बी आवेदनों में दी गई सूचना के अनुसार पात्रता न दर्शाने वाले मामलों में रिक्‍वेस्‍ट फॉर एवीडेंस (आरएफई) अथवा नोटिस ऑफ इंटेंट टु डिनाई (एनओआईडीज) के लिए मामला दायर किए बिना एच-1बी आवेदन अथवा याचिका को नामंजूर करने का पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करता है। नीति संबंधी यह नया निदेश 11 सितंबर 2018 से लागू हुआ।

 इस समय, अमरीकी कांग्रेस में आठ विधेयक विधायी प्रक्रिया के विभिन्‍न चरणों में है जिनमें एच-1बी वीजा कार्यक्रम में बदलावों का प्रस्‍ताव है। अप्रैल 2017, में राष्‍ट्रपति ट्रंप ने ‘ ‘बाय अमरीकन एंड हायर अमरीकन’’ शीर्षक से एक एक्‍जिक्‍यूटिव ऑर्डर (ईओ) जारी किया था जिसमें अमरीकी प्रशासन की विभिन्‍न शाखाओं से अपेक्षा की गई है कि वे एच-1बी वीजा सहित कार्यवीजा कार्यक्रम में सुधारों का सुझाव दें। यह प्रक्रिया अभी चल रही है और कोई व्‍यापक बदलाव नहीं किए गए हैं।

**\*\*\*\***